

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व-इन्द्राज					रसीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
कौडाही	293	बौदू पुत्र पिमा	135	0.01	बौदू राम पुत्र	135	0.01
		आनि धार साठ	136	3.12	पिमा राम आनि धार	136	3.12
		दहे खानेदार	449	0.11	साठ दहे खानेदार	449	0.11
		बहन बटवतूर	55	2.07	बहन बटवतूर	55	2.07
		शेष बटवतूर	56	0.01	शेष बटवतूर	56	0.01
			57	0.03		57	0.03
			6	5.35		6	5.35

क्रमांक :- 444
21.10.21
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
दिनांक :-

क्रमांक :-
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
2021, प.स. मौलासर
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर